



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी/2014

R-385-I/14

कुवर सिंह कश्मीर, आदि  
माज दि 1-2-14 को  
प्रस्तुत  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह
  2. कुलदीप कौर पत्नी सतनाम सिंह
  3. गुरुप्रीत सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह
  4. प्रकाश पुत्र कश्मीर सिंह,
  5. गुरुपाल पुत्र कश्मीर सिंह,
  6. प्रीतम सिंह पुत्र संतोष सिंह,
  7. संतोष सिंह पुत्र हरि सिंह,
  8. बसंत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह
  9. मनजीत कौर पत्नी बलवंत सिंह
  10. रणजीत कौर पत्नी बसंत कौर
  11. लखविन्दर कौर पत्नी हरजिन्दर,
  12. जसवंत सिंह पुत्र मूला सिंह
- सभी जाति जाट सिख, निवासीगण-ग्राम  
प्रेमपुरा हवेली, तहसील व जिला श्योपुर  
..... निगरानीकर्तागण  
बनाम
1. रमेश पुत्र कन्हैयालाल माली, निवासी  
ग्राम मलपुरा, तह. व जिला श्योपुर,
  2. म.प्र. शासन

..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के  
अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर के प्र.क्र.  
21/2010-11 स्वमेव निगरानी, शासन बनाम जोगेन्द्र सिंह आदेश  
दिनांक 08.10.2013 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक  
08-01-2014 को प्राप्त हुई।

कुवर सिंह कश्मीर  
01-02-2014  
(रजिस्ट्रार)

44

रमेश विरुद्ध जोगेन्द्र आदि  
एवं जोगेन्द्र आदि विरुद्ध रमेश आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 62 एवं 385-एक/14

जिला - श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-10-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह दोनों निगरानियां कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2010-11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.10.13 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं। दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने से इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं।</p> <p>4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार, श्योपुर ने अवैधानिक तरीके से आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 12 को भूमि का पट्टा अवैधानिक तरीके से दिया गया। इस संबंध में विधानसभा में उठे प्रश्न के अनुक्रम में कार्यवाही कर विधिवत जांच उपरांत कलेक्टर ने आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>5/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया है कि आवेदक एवं अनावेदकों का कब्जा 1999 से होने का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही उक्त पक्षकारों द्वारा कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया है कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ही नियमों को नजरअंदाज करते हुए बीहड़ भूमि नहीं होने के बावजूद बीहड़ भूमि दिखाते हुए पट्टे का वंटन किया गया है । आलोच्य भूमि पर पूर्व से फसल लेने का कोई प्रमाण अभिलेख नहीं है, कब्जे का भी कोई प्रमाण नहीं है । इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि तहसीलदार द्वारा उन्हें विधिवत पट्टा दिया गया था । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष द्वारा समस्त पट्टों को निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित करने का जो आदेश दिया गया है वह उचित एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दोनों निगरानियां निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।</p>	<p style="text-align: right;">               सदस्य           </p>

44